UPRB010038632026

न्यायालय **District and Session Judge, Rae Bareli**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1642/2026

1. **बृजेश कुमार सिंह उम्र 72 वर्ष, पुत्र श्री रामबक्श सिंह**
2. **नीशू उर्फ बिजेन्द्र सिंह उम्र 34 वर्ष, पुत्र विमलेश सिंह**

निवासीगण–ग्राम पहुरी, थाना–सरेनी, जिला–रायबरेली।

3. **शिवम सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्र चन्द्रभान सिंह बघेल, निवासी ग्राम बघेलन का पुरवा, मजरे पहुरी, थाना सरेनी, जनपद रायबरेली।**

–––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा डी०जी०सी० (क्रि०) रायबरेली।

–––अभियोगी

दिनांक–30.06.2026

प्रार्थी–अभियुक्त **बृजेश कुमार सिंह, नीशू उर्फ बिजेन्द्र सिंह व शिवम सिंह** की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 BNSS अपराध संख्या **98/2026,** अन्तर्गत धारा– **109(1), 115(2), 126(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **सरेनी,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि "प्रार्थी अनूप सिंह पुत्र उदयभान सिंह ग्राम पहुरी थाना सरेनी जिला रायबरेली का निवासी है। दिनाक 20/05/26 की सुबह समय करीब 7.30 बजे प्रार्थी वाइक से खेतों से घर आ रहा था जैसे ही प्रार्थी कटे पुल के आगे सतोष के घर के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए खड़े गांव के राघवेन्द्र सिंह उर्फ रामू पुत्र बृजेश कुमार सिंह उर्फ वच्चा बाबू, नीशू पुत्र विमलेश सिंह, बृजेश कुमार सिंह पुत्र रामबक्श सिंह व बघेलन का पुरवा मजरे पहुरी गाव का शिवम सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह बघेल ने प्रार्थी को रोक लिया और मा वहन की गालिया देने लगे मना पाल्ने पर लात घूसो से मारा राम ने प्रार्थी के सिर पर पिस्टल की घट मार दिया इससे चोट आ गई। राघवेन्द्र सिंह उर्फ रामू ने जान से मारने की नियति से प्रार्थी पर तीन फायर किया लेकिन प्रार्थी नाली में लेट गया इससे बाल –2 बचा उपरोक्तो ने धमकी देते हुए कहा कि आज तो बच गया दुवारा मिले तो जान से मार डालूंगा। घटना को तमाम लोगों ने देखा व सुना। अतः सूचना को आया हूँ आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, तथा कथित अपराध में उनकी किसी भी प्रकार की सहभागिता व संलिप्तता नही है। उन्हे गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर उपरोक्त अपराध में नामित किया गया है। उपरोक्त घटना वादी के कथनानुसार दिनांक 20.05.2026 को 07:30 बजे प्रातः की कही जाती है जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दिनांक 20.05.2026 को 15:40 बजे अंकित करायी गयी है, जबकि घटना स्थल से थाना सरेनी की दूरी मात्र 5 किलो मीटर है, विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नही दिया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार अपराध

कारित करने का कोई मोटिव नही बताया गया है तथा अभियोजन कथानक का समर्थन / चोटहिल की चिकित्सीय आख्या से नही होता है जिससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है, प्रार्थी / अभियुक्तगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया गया, जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने योग्य है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना 07:30 बजे सुबह दिन की है. इसके बावजूद घटना का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नही है तथा जो भी साक्षीगण है वह वादी मुकदमा के मेलीमद्दगार व घर के है। इस कारण घटना अपने आप में झूठी व कपोल कल्पित प्रतीत होती है, जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्तगण व वादी मुकदमा के मध्य चुनावी रंजिश होने के कारण प्रार्थी/अभियुक्तगणों को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उनके विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। सहअभियुक्त राघवेन्द्र सिंह की पत्नी अर्चना सिंह वर्तमान में निर्वाचित प्रधान है। तथा प्रार्थी/अभि० बृजेश कुमार सिंह सेवा निवृत्त होने के पश्चात् जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। जिसमें वादी मुकदमा अनूप सिंह ने घोर विरोध किया था। तथा वादी मुकदमा प्रधानी के चुनाव में अमरपाल सिंह की पत्नी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे किन्तु वह चुनाव हार गयी थी। जिसके कारण तथाकथित घटना सन्देहास्पद प्रतीत होती है। अभियुक्त सं0–2 नीशू उर्फ बिजेन्द्र सिंह प्रार्थी/अभि० बृजेश कुमार सिंह का सगा भतीजा है। एवं अभि० सं०–3 शिवम् सिंह सगे साढू चन्द्रभान सिंह का लड़का है। जो कि मेरी गांव सभा पूरे बघेलन का निवासी है। वादी मुकदमा ने पूरे परिवार व रिश्तेदार को जानबूझकर हैरान व परेशान करने के लिए तथाकथित घटना में नामित किया है। जबकि प्रार्थी/ अभि०गण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नही बनता है। घटना स्थल से किसी प्रकार की घटना से सम्बन्धित कोई भी बरामचत्ती नही हुई है जिसके कारण भी घटना स्वाभाविक नही प्रतीत होती है, अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने योग्य है। प्रार्थी/ अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नही होता है। यदि प्रार्थी/ अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुंचेगी तथा उसकी भरपाई किसी भी रूप में नही हो पायेगी थाना सरेनी की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास कोई पासपोर्ट व वीजा नही है और प्रार्थी/अभियुक्तगण दौरान विचारण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत वर्ष को नहीं छोड़ेगें। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नही है और न ही किसी अपराध में उन्हे कभी दोषसिद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि जो भी न्यायालय द्वारा निश्चित की जायेगी उक्त तिथि पर प्रार्थी/अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगें तथा वाद के विचारण में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें तथा दौरान विवेचना विवेचक को पूर्ण सहयोग करेगें। प्रार्थी/अभियुक्त बृजेश कुमार सिंह अभी अमीन के पद से सेवानिवृत्त हुए है सेवानिवृत्त होने के पश्चात् काफी बीमार रहते है तथा उसकी उम्र 72 वर्ष की हो चुकी है काफी वृद्ध है प्रार्थी/अभियुक्त के हार्ट की एन्जियोग्राफी हो चुकी है तथा लगातार उसकी दवाये डाक्टर की सलाह के अनुसार अभी भी चल रही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है तथा अपनी अग्रिम जमानत का किसी भी तरह से दुरूपयोग नही करेगें तथा अभियोजन साक्षीगण को किसी भी प्रकार से प्रभावित नही करेगें। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पहले से घात लगाये बैठे थे। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं अवलोकित किया।

थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगण के द्वारा उक्त मुकदमें में सह अभियुक्त के साथ के मिलकर वादी मुकदमा को मारा पीटा। उक्त घटना की फोटो एवं वीडियों में नामित अभियुक्त सं–1 राघवेन्द्र

सिंह उर्फ रामू सिंह के पास अवैध तमंचा दिखाई दे रहा है। विवेचना से अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं तथा अग्रिम जमानत का विरोध किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य** (2011) 1 SCC 694 में अभिनिर्धारित किया है कि आरोपित के खिलाफ उपलब्ध सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए तथा न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

प्रस्तुत मामले में थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगण के द्वारा उक्त मुकदमें में सह अभियुक्त के साथ के मिलकर वादी मुकदमा को मारा पीटा। उक्त घटना की फोटो एवं वीडियों में नामित अभियुक्त सं–1 राघवेन्द्र सिंह उर्फ रामू सिंह के पास अवैध तमंचा दिखाई दे रहा है। अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास भी है। विवेचना से अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी–अभियुक्त **बृजेश कुमार सिंह, नीशू उर्फ बिजेन्द्र सिंह व शिवम सिंह** की ओर से अपराध संख्या **98/2026** अन्तर्गत धारा– 109(1), 115(2), 126(2), 351(3), 352 **भारतीय न्याय संहिता** 2023, थाना **सरेनी,** जिला **रायबरेली** के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी/सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
30–06–2026

Ashutosh Kumar
Stenographer

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.06 12:04:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli